रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092026-276239
CG-DL-E-16092026-276239

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 542] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2026/भाद्र 16, 1948
No. 542] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2026/BHADRA 16, 1948

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2026

फा. सं. एल–1/260/2021/सीईआरसी.— केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के बाद, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग एतद् द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं संबद्ध मामले) विनियम, 2024 (जिसे इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है:–

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

1.1 इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026 है।

1.2 ये विनियम दिनांक 31.08.2026 से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियमों के विनियम (8) के खंड (4) के बाद एक नए खंड का अंतर्वेशन:

2.1 मूल विनियमों के विनियम (8) के खंड (4) के बाद एक नया खंड निम्नानुसार अंतर्वेशित किया जाएगा:

"(4क) इस विनियम के खंड (4) के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, डब्ल्यूएस विक्रेता के मामले में, विचलन के लिए प्रभारों को निम्नलिखित मामलों में सामान्य विक्रेताओं के समान माना जाएगा:

(क) बोली रूट के अधीन परियोजनाओं के लिए, जिनके टेंडर या बोली जमा करने की तारीख 01.01.2027 या उसके बाद है; और

(ख) उप–खंड (क) के अधीन आने वाली परियोजनाओं के अलावा, उन परियोजनाओं के लिए जिनका वाणिज्यिक प्रचालन दिनांक 01.01.2029 को या उसके बाद है।

3. मूल विनियमों के विनियम (8) के खंड (5) के बाद नोट का अंतर्वेशनः

3.1 मूल विनियमों के विनियम (8) के खंड (5) के बाद एक नोट निम्नानुसार अंतर्वेशित किया जाएगाः

"नोटः अधिनियम की धारा 62 के अधीन पम्पड हाइड्रो भंडारण संयंत्र वाले स्टैंडअलोन ईएसएस के मामले में विचलन हेतु प्रभारों की संगणना समय–समय पर यथा संशोधित केविविआ (टैरिफ के निबंधन व शर्तें) विनियम, 2024 के विनियम 66 के खंड 3 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट ऊर्जा प्रभार दर पर की जाएगी।

4. मूल विनियम के विनियम (8) के खण्ड (8) का संशोधनः

4.1 मूल विनियम के विनियम 8 के उपखण्ड 8 (1) में, इनफर्म पावर के अंतःक्षेपण के लिए प्रभार 'इस विनियम के खण्ड (2) और (3) के अधीन विनिर्दिष्ट मामलों को छोड़कर शून्य होगा।' शब्दों को 'इनफर्म पावर के अंतःक्षेपण के लिए प्रभार इस विनियम के खण्ड (2), (2क) और (3) के अधीन विनिर्दिष्ट मामलों को छोड़कर शून्य होगा।' के रूप में पढ़ा जाएगा।

4.2 मूल विनियम के विनियम (8) के उपखण्ड 8(2) के बाद एक नया खण्ड निम्नानुसार अंतर्वेशित किया जाएगाः

''(2क) स्टेण्डअलोन ऊर्जा स्टोरेज प्रणाली (ईएसएस) के मामले में, ट्रायल रन के सफलता से पूरा होने तक ईएसएस के प्रथम सिंक्रॉनाइजेशन की तारीख से ग्रिड में अंतःक्षेपित इनफर्म पावर 2.00 रुपये/किलोवाट घण्टे की सीमा के अध्यधीन प्रत्येक समय ब्लॉक के लिए विचलनों के लिए प्रभारों की @सामान्य दर पर अदा की जाएगी।''

4.3 मूल विनियम के विनियम (8) के उपखण्ड 8(4) में, 'इस विनियम के खण्ड (2) और (3) के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी' शब्दों को 'इस विनियम के खण्ड (2), (2क) और (3) के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी' के रूप में पढ़ा जाएगा।

5. मूल विनियम के विनियम 10 (विचलन के लिए प्रभारों के भुगतान की अनुसूची) का संशोधनः

5.1 मूल विनियम के विनियम 10 के खण्ड (1) में, 'या आयोग द्वारा यथा अनुमोदित राष्ट्रीय विचलन के कार्यान्वयन, रखरखाव और प्रचालन तथा सहायक सेवा पूल लेखा के लिए विस्तृत क्रियाविधि में यथानिर्धारित इस प्रकार की टाइमलाइन के अंदर' शब्दों को 'विचलन के लिए प्रभारों के भुगतान को उच्च प्राथमिकता होगी और संबंधित प्रादेशिक इकाई प्रादेशिक विद्युत समिति द्वारा विचलन के लिए प्रभारों के जारी होने की तारीख के 10 (दस) दिनों के अंदर देय रकम को अदा करेगी' शब्दों के बाद और 'जिसके न होने पर विलंब भुगतान अधिभार @0.04% विलंब के प्रत्येक दिन के लिए प्रतिदेय होगा' शब्दों के पूर्व अंतर्वेशित किया जाएगा।

5.2 मूल विनियम के विनियम 10 के खण्ड (3) में, 'या आयोग द्वारा यथा अनुमोदित राष्ट्रीय विचलन के कार्यान्वयन, रखरखाव और प्रचालन तथा सहायक सेवा पूल लेखा के लिए विस्तृत क्रियाविधि में यथानिर्धारित इस प्रकार की टाइमलाइन के अंदर' शब्दों को 'विचलन के लिए प्रभारों के जारी होने की तारीख से 10 (दस) दिनों के अंदर विचलन और सहायक सेवा पूल लेखा में भुगतान न करने की स्थिति में' शब्दों के बाद और 'प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र चूक की सीमा तक संबंधित प्रादेशिक इकाई के साखपत्र को नकदीकृत करने का पात्र होगा, और संबंधित प्रादेशिक 03 (तीन) दिनों के अंदर साखपत्र की रकम की प्रतिपूर्ति करेगी।' शब्दों के पूर्व अंतर्वेशित किया जाएगा।

हरप्रीत सिंह पुथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./311/2026-27]

टिप्पण:

(i) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2024 भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खण्ड 4, संख्या 642 में तारीख 21.8.2024 को प्रकाशित किए गए।

(ii) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024 भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खण्ड 4, संख्या 1030 में तारीख 24.12.2024 को प्रकाशित किए गए।

(iii) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खण्ड 4, संख्या 473 में तारीख 25.6.2025 को प्रकाशित किए गए।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2026

F. No. L-1/260/2021/CERC.— In exercise of the powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2024 (hereinafter referred to as the "Principal Regulations"), namely: -

1. Short Title And Commencement

1.1 These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) (Third Amendment) Regulations, 2026.

1.2 These regulations shall come into force with effect from 31.08.2026.

2. Insertion of a new clause after clause (4) of regulation (8) of the principal regulations:

2.1 A new clause shall be inserted after clause (4) of Regulation (8) of the Principal Regulations, as under:

"(4A) Notwithstanding the provisions of clause (4) of this Regulation, the charges for Deviation, in respect of a WS Seller, shall be treated at par with General Sellers in the following cases:

(a) for projects under bidding route, with tendering or bid submission dates on or after 01.01.2027; and

(a) for projects, other than those covered under sub-clause (a), having date of commercial operation on or after 01.01.2029.

3. Insertion of a note after clause (5) of regulation (8) of the principal regulations:

3.1 A Note shall be inserted after clause (5) of Regulation (8) of the Principal Regulations, as under:

"Note: The charges for deviation in respect of a standalone ESS being a pumped hydro storage plant under Section 62 of the Act shall be computed at the energy charge rate as specified under Clause 3 of Regulation 66 of the CERC (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2024, as amended from time to time."

4. Amendments to clause (8) of regulation (8) of the principal regulations:

4.1 In sub-clause 8(1) of Regulation 8 of the Principal Regulations, the words "The charges for injection of infirm power shall be zero, except in cases specified under clauses (2) and (3) of this Regulation" shall be read as "The charges for injection of infirm power shall be zero, except in cases specified under clauses (2), (2A) and (3) of this Regulation".

4.2 A new clause shall be inserted after sub-clause 8(2) of the Regulation (8) of the Principal Regulations, as under:

UNICOMPLYCATE Simplifying Compliance

"(2A) In case of Standalone Energy Storage System (ESS), the infirm power injected into the grid from the date of first synchronization of ESS up to the successful completion of the trial run shall be paid @ Normal Rate of Charges for Deviations for each time block, subject to a ceiling of ₹ 2.00/kWh."

4.3 In sub-clause 8(4) of Regulation 8 of the Principal Regulations, the words "Notwithstanding the provisions of clauses (2) and (3) of this Regulation," shall be read as "Notwithstanding the provisions of clauses (2), (2A) and (3) of this Regulation,".

5. Amendment to regulation 10 (schedule of payment of charges for deviation) of the principal regulations:

5.1 In clause (1) of Regulation 10 of the Principal Regulations, the words "or within such timeline as stipulated in the Detailed Procedure for implementation, maintenance and operation of the National Deviation and Ancillary Services Pool Account, as approved by the Commission," shall be inserted after the words "The payment of charges for deviation shall have a high priority, and the concerned regional entity shall pay the due amounts within 10(ten) days of the date of issuance of charges for deviation by the Regional Power Committee" and before the words "failing which late payment surcharge @ 0.04% shall be payable for each day of delay".

5.2 In clause (3) of Regulation 10 of the Principal Regulations, the words "or within such timeline as stipulated in the Detailed Procedure for implementation, maintenance and operation of the National Deviation and Ancillary Services Pool Account, as approved by the Commission " shall be inserted after the words "In case of failure to pay into the Deviation and Ancillary Services Pool Account within 10(ten) days from the date of issuance of charges for deviation," and before the words, "the Regional Load Despatch Centre shall be entitled to encash the Letter of Credit of the concerned regional entity to the extent of the default, and the concerned regional entity shall recoup the Letter of Credit amount within 3 (three) days".

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./311/2026-27]

Note:

(i) The Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2024 were published in Part III, Section 4, No. 642 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 21.08.2024.

(ii) The Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) (First Amendment) Regulations, 2024 were published in Part III, Section 4, No. 1030 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 24.12.2024.

(iii) The Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) (Second Amendment) Regulations, 2025 were published in Part III, Section 4, No. 473 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 25.06.2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.09.16 15:58:44 +05'30'